

पैरवी:
क्यों और कैसे



(R E A)

पैरवी:
क्यों और कैसे



क्रिया प्रकाशन



सर्वाधिकार : क्रिया
प्रकाशन वर्ष : 2008
प्रकाशक: क्रिया

(प्रतियाँ इस पते पर उपलब्ध हैं)

क्रिया

7 मथुरा रोड, दूसरी मंजिल, जंगपूरा बी,
नई दिल्ली – 110 014

लेखन व संपादन: शालिनी सिंह और प्रमदा मेनन

अनुवाद: शालिनी सिंह और सुनीता भदौरिया



प्राक्कथन

क्रिया का उद्देश्य महिलाओं को उनके हक के बारे में जानकारी देकर उनको प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाना है। क्रिया मुख्यतः यौनिकता, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यौनिक व प्रजनन अधिकार, सामाजिक न्याय तथा महिला अधिकारों के मुद्दों पर कार्य करती है।

क्रिया का मानना है कि हर स्त्री, जीवन में चाहे उसकी कोई भी स्थिति हो, उसे प्रतिष्ठा का जन्मजात अधिकार है। इस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसके मानव अधिकारों को दृढ़ किया जाना चाहिए। अपने अधिकारों की मांग करने तथा उन्हें पाने के लिए क्रिया महिलाओं का सशक्तिकरण करती है। यह कार्य महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ा कर तथा स्थानीय, प्रांतीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क स्थापित कर प्रशिक्षण, एडवोकेसी तथा शोध के द्वारा किया जाता है। क्रिया के लिए नेतृत्व एक प्रक्रिया है – जिसमें महिलाएं प्रासंगिक अनुभवों के मूल्यांकन के द्वारा समाज में अपनी भूमिका पर प्रश्न कर, पितृसत्तात्मक ढाँचा को चुनौती देती हैं। इसके साथ ही प्रभावशाली रूप से सकारात्मक सामाजिक बदलावों की उत्प्रेरक बनकर अपने अधिकारों को सुदृढ़ करती हैं।



समुदाय आधारित नेतृत्व कार्यक्रम के अंतर्गत क्रिया नेतृत्व विकास और सूचना तथा अवसर की उपलब्धता के मुद्दों पर कार्य करती है। इससे जुड़े सभी कार्यक्रम महिलाओं के अधिकारों और उनके नेतृत्व विकास को संबोधित करते हैं। कई संस्थाओं की सदस्य या कार्यकर्ता होने के बावजूद ग्रसरूट तथा समुदाय स्थित संस्थाओं के अंदर महिलाओं को बहुत कम ही नेता या मुखिया या निर्णयकर्ता के रूप में देखा जाता है। पितृसत्तात्मक ढाँचा, आवश्यक जानकारी की कमी, हिन्दी भाषा में सूचना की कमी, क्षमताएं तथा सीमित सामाजिक गतिशीलता – ये सभी महिलाओं को परिवार, समुदायों और व्यापक रूप से समाज के अंदर सत्ता के स्थान से दूर रखते हैं।

क्रिया का समुदाय स्थित कार्यक्रम, समुदाय स्थित संस्थाओं के अंदर महिला कार्यकर्ता के समूह की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने, समुदाय, जिला, राज्य तथा देश के स्तर पर नीतियों को प्रभावित करने और उनकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए वैचारिक, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक क्षमता प्रदान करता है।

हाल ही के कुछ वर्षों में सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं के कार्य करने के तरीकों में कई बदलाव आए हैं। कार्य के तरीकों के बदलाव के साथ



साथ अभियान, आंदोलन तथा पैरवी के तरीकों में भी बदलाव आना स्वाभाविक है। इन्टरनेट व ईमेल की सुविधा हो जाने से संस्थाएँ बड़े स्तर पर अपने मुद्दों के लिए सहयोगी जुटाने व अपने संदेशों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया के साथ इसका भी उपयोग करती हैं।

इन परिवर्तनों के बाद संस्थाओं के पास ऐसी कोई संसाधन सामग्री नहीं है जो पैरवी के लिए एक साथ किसी तरह की सहायता प्रदान करे या उसमें सहयोग करे। सहभागिता व मीडिया का उपयोग भी हाल ही के वर्षों में बढ़ा है। इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए क्रिया ने पैरवी के मुद्दे पर ये संसाधन पुस्तिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया जो कि आज की पैरवी से जुड़े मुद्दों व तरीकों पर प्रकाश डालता है। पैरवी पर ये पुस्तिका प्रकाशित करने का क्रिया ने निर्णय इसलिय भी लिया कि हिन्दी में इस मुद्दे पर प्रकाशन ना के बराबर है। आशा है ये प्रकाशन पैरवी के क्षेत्र में कुछ योगदान कर पाएगा और संस्थाएँ इसका उपयोग कर पायेंगी।

इस मॉड्यूल के कुछ अंश एडवोकेसी इन्सटिट्यूट से अनुवादित है और क्रिया इसके लिए एडवोकेसी इन्सटिट्यूट का धन्यवाद करना चाहती है।



विषयवस्तु

पैरवी (एडवोकेसी)	6
पैरवी का क्या अर्थ है?	7
पैरवी के उद्देश्य	8
पैरवी के उद्देश्यों को पूरा करने की रणनीति	10
पैरवी के कार्यक्षेत्र	12
पैरवी के प्रकार	16
पैरवी करने का तरीका	18
पैरवी के तरीके	19
पैरवीकार की भूमिका	25
पैरवी की योजना	26
फैक्ट शीटें	28
लिखित पत्राचार	30



सहभागिताएं (कोअलिशन)	32
सहभागिता का विकास	33
सहभागिता का मूल ढांचा	36
सहभागिताएं क्यों महत्वपूर्ण हैं	39
सहभागिताओं को कारगर बनाने के लिए कुछ सुझाव	40
सहभागिता के शिष्टाचार	41
सहभागिता और प्रक्रियाएं	42
इंटरनेट के द्वारा पैरवी	43
मीडिया द्वारा पैरवी	46
मीडिया के साथ काम करना क्यों महत्वपूर्ण है?	47
मुददे को प्रस्तुत करना	48
संपादक को पत्र	49
मीडिया से संबंधित अन्य तरीके	53
मीडिया पैरवी के लिए एक अभ्यास	58



पैरवी (एडवोकेसी)





पैरवी का क्या अर्थ है ?

“किसी मुद्दे, नीति या विचार के पक्ष में तर्क या समर्थन देने की प्रक्रिया को पैरवी कहते हैं। ये जनता की राय को प्रभावित करने और सामाजिक मनोवृत्ति को बदलने या सरकार, समुदाय या संस्थागत नीतियों में बदलाव लाने के लिए की जाती है।” (किडनी फाउन्डेशन ऑफ कनाडा एडवोकेसी हैंडबुक)

एक अन्य परिभाषा ये कहती है कि स्थानीय और राजकीय स्तर पर रणनीति तैयार करना, कार्य करना तथा नीतियों को प्रभावित करते हुए समाधान प्रदान करना जिससे समाज में रहने वाले लोगों में सकारात्मक परिवर्तन आए, पैरवी कहलाता है। पैरवी को अंग्रेजी में एडवोकेसी कहते हैं। एडवोकेसी शब्द की शुरुआत हुई है एडवोकेट से, जिसका मतलब है अपने केस या मुकदमें की वकालत करना या पक्ष रखना। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न रणनीतियों को पैरवी कहते हैं। पैरवी किसी मुद्दे पर जनसमर्थन के लिए और अधिकतर अधिकारों के लिए की जाती है। आजकल पैरवी में वो सारी गतिविधियाँ आती हैं जो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन के लिये की जाती हैं। ये बदलाव किसी भी तरह का हो सकता है जैसे किसी नीति या कानून में परिवर्तन या उस विशेष नीति को लागू करने के लिये किया गया कार्य या उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिये किया गया कार्य। आज के परिप्रेक्ष्य में पैरवी का ज्यादातर उपयोग किसी सिस्टम या परिस्थिति में बदलाव लाने के लिये किया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्य का निर्धारण और विश्लेषण दोनों ही शामिल हैं। यह सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर की जा सकती है। पैरोकार अपनी जरूरत के मुताबिक प्रयासों और कार्यवाहियों की रचना करते हैं, जिससे वे उन्हें प्रभावित कर सकें, जो सरकार राजनीति और आर्थिक सत्ता की पदों पर हैं। अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पैरोकार



औपचारिक और अनौपचारिक कार्यवाहियों से उनकी सत्ता की शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस शक्ति में अनेक बातें शामिल हैं जैसे, लोगों को संगठित करना जो सार्वजनिक विश्वास के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर सकें, संगठित प्रयासों को लगातार बनाए रखना और पैरवी के लिए मीडिया का प्रयोग करना।

पैरवी का महत्व इस बात से जाहिर होता है कि अनेक देशों में केवल मजबूत और लगातार चलने वाली पैरवी की वजह से ही स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर अनेक नीतियाँ बदली गयी हैं। नयी नीतियाँ बनाई गयी हैं। पैरवी की सहायता से लोगों की सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है जिससे अन्ततः सामाजिक परिस्थिति में बदलाव आता है। अतः पैरवी का उपयोग करके अपने समाज में सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है।

1994 में मिस्र में जनसंख्या और विकास पर हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और 1995 में चीन में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अनेक सरकारों ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और अधिकार के लिये कार्य करने की कार्यबद्धता जताई। लगातार पैरवी से इन मुद्दों पर कई स्तर पर सफलता हासिल किया गया जिसके लिये कई सरकारों, संयुक्त राष्ट्र (युनाईटेड नेशन) के संस्थाओं, अनेक गैर सरकारी संस्थाओं, महिला संस्थाओं और मीडिया के कार्यों को भी साथ जोड़ा गया। महिला संस्थाओं द्वारा आई सी पी डी में की गयी पैरवी से ही महिला स्वास्थ्य के ढांचे में यौनिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया।

पैरवी के उद्देश्य

एक न्यायोचित समाज की स्थापना के लिए पैरवी की आवश्यकता होती है। पैरवी आवश्यक है यह जानने के लिए कि सत्ता संबंधों (जेंडर, वर्ग, जाति, धर्म, यौनिक



पसंद) के संदर्भ में सूक्ष्म-वृहद् स्तर पर बदलाव कैसे होते हैं। या यह देखने के लिए कि संविधान के अंतर्गत अधिकारों का ढाँचा कैसा है – उसमें क्या मौजूद है और क्या नहीं है और लोकतांत्रिक जगहों के विकल्प खोजने या बनाने लिए। सार्वजनिक नीतियां लोगों के अधिकारों व हितों के पक्ष में हों यह सुनिश्चित करने के लिए भी पैरवी जरूरी है। पैरवी में हर किसी की भूमिका होती है और किसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए व्यापक रूप से आक्रमण करने की जरूरत होती है।

किसी भी पैरवी के दो प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं:

- दीर्घकालीन और
- अल्पकालीन

जैसे मनोवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन एक दीर्घकालीन उद्देश्य हो सकता है तो कुछ विशेष आन्दोलनों के जरिये कानून या नीतियों में परिवर्तन एक अल्पकालीन उद्देश्य हो सकता है। अलग-अलग लोगों के लिए पैरवी के उद्देश्य अलग-अलग हो सकते हैं और पैरवी भी विभिन्न विषयों पर की जा सकती है।

अल्पकालीन उद्देश्य दीर्घकालीन उद्देश्यों को और मजबूत करने के लिए होने चाहिए और दीर्घकालीन परिणामों के साथ उनका टकराव नहीं होना चाहिए। अल्पकालीन उद्देश्यों को प्रतिक्रिया की स्थिति में उपयोग किया जा सकता है और इस तरह ये दीर्घकालीन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं।

भारत में लिंग परीक्षण और तत्पश्चात गर्भपात कानून को इस पैरवी का लघुकालीन उद्देश्य कह सकते हैं। लघुकालीन उद्देश्य के तहत इस कानून से इस प्रचलन पर तात्कालिक रोक लगायी जा सकी और इसके पश्चात उसके प्रचार प्रसार से



लोगों के मन में आने वाले परिवर्तन को दीर्घकालीन उद्देश्य कहा जा सकता है।

पैरवी के उद्देश्यों को पूरा करने की रणनीति:

किसी भी पैरवी की रणनीति बनाते समय बहुआयामी आवश्यकताओं को देखना होगा। उद्देश्यों को पूरा करने के लिये ये ध्यान रखना होगा कि जिस तरह का परिवर्तन हम चाहते हैं वो धीरे धीरे शुरू होकर एक वृहत बदलाव लाये। इसके लिये कुछ चीजे हम ध्यान में रख सकते हैं:

- क्या हमारे पास पैरवी के दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों तरह के उद्देश्य हैं?
- क्या हमारे उद्देश्य ऐसे हैं जो बाहरी और अन्दरूनी दोनों तरह के बदलाव को देख सकें ?
- क्या हमारे ऐसे उद्देश्य हैं जो कार्यो के हर स्तर पर ध्यान देते हैं ?
- इसके अलावा जिस समस्या के लिये पैरवी करने की तैयारी की जा रही है उसे अच्छी तरह समझना बहुत ही आवश्यक है ?
- जैसे समस्या का क्या प्रभाव है? उस समस्या का कितने लोगों पर प्रभाव पड़ता है। क्या एक ही समस्या भिन्न भिन्न लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है? समस्या का कारण क्या है? समस्या के समाधान के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? समस्या का कौन कौन से तरीके से समाधान हो सकता है? इन समस्याओं और समाधानों का विभिन्न समूहों पर किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है। हम बदलाव को कैसे देख रहे हैं?



कई बार ऐसा होता है कि हम पैरवी तो शुरू कर देते हैं पर उसका कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं होता क्योंकि ऐसा सम्भव है कि बिना इसके भी पैरवी शुरू कर दी जाये। दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये परिकल्पना का होना आवश्यक है। अगर परिकल्पना रहती है तो रणनीति बनाते समय निर्णय लेना आसान होता है। अन्य तरह के समाधानों को सुलझाया जा सकता है। समान कार्यों की पहचान हो सकती है।

लिंग परीक्षण तकनीक और गर्भपात:

किसी भी मुद्दे के लिये पैरवी करते समय उस मुद्दे की समाज में वास्तविक स्थिति क्या है इसके बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। इससे एक लाभ ये होता है कि हम जब भी मुद्दे की आवश्यकता और गहराई के बारे में किसी सरकार या प्रतिनिधि से बात करते हैं तो मुद्दे की वर्तमान स्थिति से विश्वसनीय रूप से अवगत कराना आसान हो जाता है। हमारी सूचना भी तथ्यों द्वारा प्रमाणित हो जाती हैं।

भारत में लिंग परीक्षण और तत्पश्चात गर्भपात की घटनायें बहुत दिनों से चली आ रही हैं। इस प्रचलन के कई कारण हैं परंतु इसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। भारत में इसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं था। एक संस्था ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की और इस मामले को कोर्ट में ले गये। कोर्ट के जरिये आसानी से ये मुद्दा जनसाधारण की नजर में आ गया। बाद में भारत के हर क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं ने इस मुद्दे पर कार्य करना शुरू किया क्योंकि इस तरह की घटनायें तो हर क्षेत्र में हो रही थी पर किसी ने अब



तक ध्यान नहीं दिया था। सभी लोगों के मिलकर कार्य करने का परिणाम ये हुआ कि आज भारत में लिंग परीक्षण के खिलाफ़ कानून बन गया है। अनेक सामाजिक कार्यकर्ता भी अब लोगों के बीच इस कानून के साथ जाते हैं और इसके माध्यम से लोगों में इस मुद्दे की गंभीरता को भी स्थापित करते हैं।

हमारे समाज के पित्रसत्तात्मक ढाँचे की वजह से अनेक परिवारों में महिलाओं को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं मिलता और वो दबाव में आकर गर्भपात कराने को मजबूर होती हैं। हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस मुद्दे पर पैरवी करते समय हम ऐसा ना करें कि महिलाओं के गर्भपात करवाने के अधिकार को कोई खतरा पहुँचे। इस मुद्दे पर बात करते समय गर्भपात करने के अधिकार पर भी बात करना शायद जरूरी है। अतः इस मुद्दे का समाधान सिर्फ़ कानून पर काम करने से नहीं होगा हमें सामाजिक परिस्थितियों को साथ में लेकर चलना होगा।

पैरवी के कार्यक्षेत्र

पैरवी कई स्तरों पर की जा सकती है, पर मुख्यतः यह निम्नलिखित स्तरों पर की जाती है:—

- **व्यक्तिगत स्तर पर** (जैसे हम सब अपने जीवन में करते हैं)
- **पारिवारिक स्तर पर** (जैसे दहेज का मुद्दा)
- **सामाजिक स्तर पर** (जैसे गुजरात में पदयात्रा गुजरात में हुए दंगों के बाद)



अनेक लोगों ने पदयात्रा की उस मुद्दे पर लोगों से बात करने के लिए और आपसी भेदभाव समाप्त करने के लिए)

- **राष्ट्रीय स्तर पर** (जैसे घरेलू हिंसा बिल)
- **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर** (महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिये 16 दिनों का आन्दोलन)
- **व्यक्तिगत स्तर पर:** लिंग परीक्षण तत्पश्चात गर्भपात ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ही व्यक्तिगत है और किसी का इसके बारे में क्या निर्णय है वो सिर्फ वही व्यक्ति सही रूप से जान सकता है। हालांकि बहुत से लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं परंतु जब अपने घर की बात आती है तो भेदभाव करते हैं और चाहते हैं कि घर में लड़कियाँ ना हों या हों तो कम हों। इसके कई कारण देकर इस बात को लोग सही भी साबित करते हैं। इसीलिये अनेक लोग गर्भ में पलने वाले शिशु के लिंग की अकसर जानकारी पहले ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और फिर यदि लड़की हुई तो गर्भपात करा लेते हैं। ये मुद्दे आसानी से व्यक्तिगत स्तर पर अपनाये जा सकते हैं और फिर अनुभवों को दूसरों के साथ बांटा भी जा सकता है। शायद एक दुसरे की देखा देखी लोग सीखें।
- **पारिवारिक स्तर पर:** अनेक बार हम बहुत सारे मुद्दों की बात करते हैं पर जब उन्हें अपनाने की बात आती है तो ये कहकर टाल देते हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। यदि इन मुद्दों को परिवार के स्तर पर उठाया जाये तो शायद ये बातें एक व्यक्ति से बढ़कर और लोगों तक जायेंगी। तब ये एक प्रकार से पैरवी का रूप लेगी। दहेज का मुद्दा ऐसा ही है। हम अपने



परिवार में तो कोशिश करते हैं कि दहेज ना लें पर हमारे ही परिवार के रिश्ते में अगर कोई शादी हो तो दूसरे का मामला कहकर हम टाल देते हैं।

- **सामाजिक स्तर पर:** गुजरात में हुए दंगे के बाद अनेक लोगों ने पदयात्रा की उस मुद्दे पर लोगों से बात करने के लिए और आपसी भेदभाव समाप्त करने के लिए लोगों से बात की गयी, सम्मेलन आयोजित किये गये और इस मुद्दे पर पर्चे बनाकर बाँटे गये ताकि लोगों में इस मुद्दे पर जानकारी बने।
- **राष्ट्रीय स्तर पर:** घरेलू हिंसा एक ऐसा मुद्दा है जो लगभग सभी के घर में होता है पर कोई इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। कभी कोई किसी से भी इस मुद्दे पर बात नहीं करता क्योंकि ये एक व्यक्तिगत मुद्दा समझा जाता है। पर जब कोई मुद्दा आधी जनता को प्रभावित कर रहा हो तो वो व्यक्तिगत कैसे हो सकता है। अतः महिला समूहों ने इस मुद्दे को क्षेत्र से लेकर राष्ट्र के स्तर पर उठाया और इसके लिये हर तरह के प्रचार प्रसार की नीति उपयोग की गयी जिससे एक दिन ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। परिणामस्वरूप आज भारत में इस मुद्दे पर कानून बन गया है।
- **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर:** महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिये 16 दिनों का आन्दोलन अनेक देशों में मनाया जाता है। ये आन्दोलन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा चलाये गये अनेक कार्यक्रमों में से एक है और आज अनेक संस्थाओं और सरकारों के लिये हर साल का एक मुख्य कार्यक्रम बन गया है। इसमें प्रत्येक साल 25 नवम्बर से लेकर 10 दिसम्बर तक महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दे पर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिये अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित



किये जाते हैं। अनेक देशों की वो संस्थायें जो महिलाओं के मुद्दे पर कार्य करती हैं वो इस मुद्दे पर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिये इस अवधि का उपयोग करती हैं ।

पैरवी के ये सभी तरीके आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ही मुद्दे की पैरवी, इन सभी स्तरों पर की जा सकती है। इसीलिये कई बार इन्हें अलग अलग करके देखना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि कई मुद्दे जिनके लिये आप हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हों परंतु वो वास्तव में आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से भी उतनी ही जुड़ी हों। अतः ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हैं, कहीं न कहीं जाकर ये सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।

उदाहरण के तौर पर हम लिंग परीक्षण और तत्पश्चात गर्भपात की घटनाओं को ले सकते हैं। सबसे पहले ये किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन को प्रभावित करती हैं। इसके बाद ये मुद्दा परिवार के स्तर पर प्रभावित करता है। क्योंकि लड़कियों के प्रति पूरे समाज में ही एक विशेष भावना है और ज्यादातर लोग इन्हें बोझ समझते हैं। अतः ये मुद्दा फिर सामाजिक तौर पर भी व्यक्ति और परिवार को प्रभावित करता है। इस तरह का मुद्दा यदि बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित है तो आवश्यक हो जाता है कि उसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर कुछ किया जाये ताकि लोगों को उस मुद्दे पर आकर्षित किया जा सके। विभिन्न स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी विभिन्न मुद्दों के बारे में बात की जाती है। यदि समाज और राष्ट्र के स्तर पर होने वाले मुद्दों पर कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया जाता तो यही मुद्दे देश की छवि को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित करते हैं। इस तरह एक ही मुद्दा व्यक्ति से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक एक दुसरे के साथ जुड़ जाता है।



पैरवी के प्रकार

आम तौर पर पैरवी को हम मुख्य रूप से राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक प्रकार में देख सकते हैं।

पैरवी के प्रकारों को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है:-

- **राजनीतिक** – संविधान में संशोधन के द्वारा बदलाव लाने के लिए पैरवी की जा सकती है। जैसे कि आजकल महिलाओं के लिए संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की जा रही है। महिला अधिकारों पर काम करने वाली सभी संस्थाएं सामूहिक रूप से जुड़ कर और अन्य प्रभावशाली लोग इस मुद्दे पर पैरवी कर रहे हैं।
- **आर्थिक** – विश्व बैंक अनेक देशों को विभिन्न कार्यों के लिए कर्ज देता है और कर्ज लेने वाले देशों पर उसका प्रभाव भी पड़ता है। क्योंकि कर्ज देने के बाद विश्व बैंक ही यह तय करता है कि वे देश क्या करेंगे, उनकी नीतियां क्या होंगी, इत्यादि। ये नीतियां विश्व बैंक के अनुकूल होनी चाहिए। इसके विरुद्ध भी पैरवी की जा सकती है। जिस तरह वुमेन्स आई ऑन वर्ल्ड बैंक नामक महिलाओं की एक संस्था है, जो विश्व बैंक की नीतियों पर नजर रखती है। यह विश्लेषण करती है कि उसकी नीतियों का महिलाओं पर क्या प्रभाव होगा। हमारे देश की दिशा नामक संस्था वार्षिक बजट का विश्लेषण कर यह देखती है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि उसी अनुपात में खर्च की जाती है या नहीं। इसी तरह सेन्टर फ़ौर बजट ऐन्ड गौवर्नेन्स अकाउन्टेबिलिटी की स्थापना बजट को बनाने और कार्यान्वित करने में पारदर्शिता, जिम्मेदारी या सहभागिता को बढ़ावा देने की



एक कोशिश है। ये संस्था यूनियन बजट का ध्यान से अध्ययन करती है और बजट निर्धारण की प्राथमिकताओं की ओर ध्यान दिलाती है। बजट का गरीबों और हाशिये पर खड़े लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भी विश्लेषण करती है।

- **सामाजिक** – इसके अन्तर्गत किसी भी सामाजिक मुद्दे के बारे में बात करने और जागरूकता फैलाने के लिये पैरवी का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने महिला आन्दोलन को कार्यस्थल पर यौन हिंसा के लिये पैरवी करने को प्रेरित किया। भंवरी देवी राजस्थान सरकार के महिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत साथिन थीं। जब उन्हें पता चला कि गाँव में बाल विवाह कराया जा रहा है तो उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप उनके पति के सामने उनका सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। राजस्थान में बड़े पैमाने पर इस मामले की पैरवी की गई। कुछ महिला अधिकार संस्थाओं ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और पाँच साल की लम्बी लड़ाई के बाद कार्यस्थल पर यौनिक हिंसा पर एक कानून बनाया गया। इस प्रकार एक व्यक्तिगत मामले ने राष्ट्रीय पैरवी का रूप ले लिया।
- **सांस्कृतिक** – हमारे देश में ऐसी धारणा है कि उच्चवर्गीय अच्छे परिवारों में हिंसा नहीं होती। इस नजरिए व धारणा को बदलने के लिए भी पैरवी की जा सकती है।



पैरवी करने का तरीका





पैरवी के तरीके

- **नेटवर्क** – एक जैसे विचार वाले लोगों का, जिनकी समस्या के बारे में समझ एक सी हो और जो उससे निपटने के लिए नए तरीकों को खोजने के लिए भी तैयार हों।
- **अनौपचारिक सहभागिताएँ** – उन लोगों व संस्थाओं के बीच जिनका फोकस समान उद्देश्यों में हो और वो तब ज्यादा कारगर सिद्ध होती हैं जब वे उम्मीद से परे या अंसभव सहभागियों को भी शामिल कर लेते हैं।
- **दीर्घकालीन सहभागिताएं** – स्पष्ट उद्देश्यों और निर्णय करने की नियमित प्रक्रिया के साथ, कभी बहु मुद्दों, कभी एक मुद्दे के साथ, और सबसे ज्यादा प्रभावशाली जब कोई मुद्दा कार्यवाही के लिए तैयार हो।
- **मीडिया को शामिल करना** – मीडिया को सार्वजनिक तर्क के ऐसे ढाँचे में ढालना चाहिए जो नीति में बदलाव की ओर काम करे।
- **विधायक / अधिकारी तक पहुँच** – चाहे वह नौकरशाही/प्रशासकीय शाखा हो। ऐसे अधिकारियों पर प्रभावशाली लोगों के हितों का लगातार दबाव बना रहता है और यदि विपरीत दबाव न हो तो वे इन दबावों के नीचे दब जाते हैं।
- **प्रक्रिया ढाँचा** – प्रभावशाली तरीके से काम करने के लिए पैरोकारों को औपचारिक प्रक्रिया ढाँचा, काम करने का तरीका और विशेषताएं और किस प्रकार औपचारिक प्रक्रिया अनौपचारिक के साथ घुलमिल जाती है (सत्ता, सीमाएं, प्रभाव) जानना जरूरी है।



- **विज्ञापन फिल्में** – पैरवी करने का एक तरीका विज्ञापन फिल्में भी हैं। वर्ष 2000 में महिला दिवस के अवसर पर क्रिया तथा कुछ अन्य संस्थाओं ने मिलकर 40 सेकेंड की एक विज्ञापन फिल्म बनाई थी, जिसका नाम था “कलर माई ड्रीम”(मेरे सपनों में रंग भरो)। इस फिल्म में एक बच्ची को गुड़िया के साथ न खेलकर विमान उड़ाने की कल्पना करते और फिर एक विमानचालक के रूप में दर्शाया गया है। फिल्म में यह संदेश था कि लड़कियां भी इस तरह के सपने देख सकती हैं और पुरुष प्रधान कहे जाने वाले क्षेत्रों में जा सकती हैं।

सफल पैरवी के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं अतः पैरवी करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे:-

- एक निश्चित उद्देश्य और योजना के साथ एक ऐसा विषय जिसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।
- उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये एक निर्धारित समय योजना।
- एक राजनैतिक विश्लेषण जो विषयवस्तु, उसके उद्देश्य और योजना को अन्य विषयों, उसके उद्देश्य और योजना के परिपेक्ष्य में देखें।
- उस विषय से संबंधित मनोवृत्ति, नीतियों और संस्थाओं के बारे में जानकारी।
- पैरवी को मजबूत आधार प्रदान करने के लिये उस विशेष विषय से जुड़ी सूचनायें, आँकड़े इत्यादि एकत्र करना।
- अन्य समूहों और संस्थाओं के साथ सहभागिता जो उस विषय में रुचि रखते हों।



- पैरवी में आने वाली मुश्किलें, समय, आर्थिक आवश्यकतायें, मानव संसाधन, निर्णय क्षमता, मीडिया की अच्छी तरह से पहचान।
- विरोधी शक्तियों, मुद्दे और संस्थाओं की पहचान।
- पैरवी से होने वाले फायदे का जिन लोगों पर असर पड़ेगा उन प्रभावित लोगों की स्पष्ट रूप से पहचान।
- पैरवी के लिये विभिन्न तन्त्रों के साथ साथ किस तरह के संदेश मीडिया को दिये जायें इसकी पहचान।
- पैरवी के लिये किये गये प्रयत्नों का मूल्यांकन तथा जांच प्रक्रिया की स्थापना।
- कानूनी रूप से पैरवी में योगदान तथा जरूरत पड़ने पर अधिकारों की लड़ाई में कानूनी हस्तक्षेप की जानकारी।
- पैरवी के लिए अन्य समूहों का साथ लेना चाहिए, जैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता (कोई भी अकेला व्यक्ति किसी काम को अन्जाम नहीं दे सकता, उसे और लोगों के सहयोग की जरूरत होती है) उसी तरह अकेले प्रभावशाली रूप से पैरवी नहीं किया जा सकता।

पैरवी करते समय अपने आखिरी हथियार को बचा कर रखना चाहिए। और यह तय करना जरूरी है कि कब उस आखिरी हथियार का उपयोग किया जाए। बहुत दिनों तक चलने वाली पैरवी में दबाव को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आवश्यक है कि –

- सभी सदस्य आपस में संगठन बनाए रखें



- मुद्दे के समर्थक होने चाहिए, ताकि उनके साथ चर्चा की जा सके
- अपने अगले कदम के लिए पहले से तैयार रहें
- दूसरे पक्ष के वार का जवाब तैयार रखें
- मुद्दों पर केवल अल्पकालीन प्रतिक्रिया न करें
- पैरवी के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोनों तरह की योजनाएं बनाएं
- ख्याली पुलाव न पकाएं, पैरवी के लिए व्यवहारिक उद्देश्य ही चुनें
- व्यवहारिक परिणामों को प्राप्त करने के बारे में सोचें और असंभव परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास न करें

किसी भी मुद्दे पर पैरवी के लिए हमें पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि वर्तमान स्थिति क्या है, आँकड़े, हमारा लक्ष्य व रणनीति क्या है और हम किन किन लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। जानकारी भी कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे अखबारों से, आँकड़ों से या आसपास के लोगों से प्रकाशित शोध से, सरकार से, प्रभावित लोगों से और रिपोर्टो से।

जो भी व्यक्ति या संस्था किसी मुद्दे पर पैरवी करने जा रहा है उसे निम्नलिखित कार्य अवश्य करने चाहियें:-

- राजनैतिक विश्लेषण
- नेतृत्व विकास
- आर्थिक सहायता की उपलब्धता



- सहभागिता बनाये रखना
- मीडिया और संदेश विकसित करना
- दस्तावेजीकरण और शोध
- जानकारियों का विकास और आन्दोलन को बढ़ावा
- कठिन मुद्दों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से पेश करना
- मीडिया के समक्ष प्रस्तुतीकरण
- दीर्घकालीन रणनीति की तैयारी
- सन्देश लिखना और विकसित करना
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल
- प्रचलित और प्रभावशाली आई ई सी सामग्री का विकास
- समाज, पंचायत, परिवार आदि के साथ बात।

पैरवी पर कार्य शुरू करते समय ये ध्यान अवश्य देना चाहिये कि कौन सा क्षेत्र है और किसके लिये पैरवी की जा रही है। जिसके लिये कार्य किया जा रहा है उनकी कितनी सीधी या परोक्ष रूप से भागीदारी रहेगी? उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये कितना समय चाहिये क्या उतना समय है हमारे पास? क्या हमारे पास पर्याप्त सहायता, शक्ति व ध्यान देने का समय है? क्या हम वो सारी सहायता उपलब्ध करा पायेंगे जो अभी हमारे पास नहीं हैं? क्या हमने मीडिया के साथ काम करने की योजना बनायी है? अपने साथियों के साथ विश्वास का रिश्ता कैसे बढ़ाया जाये और बनाये रखा जाये।



भारत में इससे संबंधित अनेक तरह के उदाहरण मिल जायेंगे, जैसे 2005 से पहले भारत में घरेलू हिंसा के लिये किसी भी महिला के पास कोई भी कानून नहीं था। जब भी वो घरेलू हिंसा का सामना करती थी उन्हें दहेज के कानून के तहत सहायता लेनी पड़ती थी। कानून नहीं होने की वजह ये थी कि हमारे समाज में घरेलू हिंसा इस तरह अधिकांश घरों का हिस्सा थी कि किसी ने इसे हिंसा के रूप में देखा ही नहीं। तब सबसे पहले ये कोशिश की गयी कि इसे सभी एक हिंसा के रूप में देखें। अतः महिला आंदोलन से जुड़े महिला संस्थाओं में इससे संबंधित अनेक तरह के उदाहरण मिल जायेंगे। अतः महिला आंदोलन से जुड़े महिला संस्थाओं के लोगों को ये अहसास हुआ कि घरेलू हिंसा के लिये महिलाओं को एक विशेष कानून चाहिये जो घरेलू हिंसा को एक अलग मामले की तरह देखें और उसके लिये समाधान प्रदान करे। फलस्वरूप एक आंदोलन शुरू हुआ इस कानून के लिये। इस आन्दोलन में हर तरह की रणनीति उपयोग की गयी। विभिन्न वर्ग के लोगों से संदेश लिये गये, लोकसभा और राज्यसभा में पैरवी (किसी विशेष नीति को बनाने या उसमें बदलाव करने के लिये सदस्यों से बातचीत करना व उनके द्वारा सरकार पर कार्य करने के लिये दबाव बनाना) की गयी, हरेक राज्य में सम्मेलन किये गये और मीडिया के साथ भी वृहत रूप से कार्य किया गया। सरकार पर दबाव बनाये रखने के लिये भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस सारी प्रक्रिया में बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर एक सहभागिता बनाया और एक साथ मिलकर कार्य किया और इसमें सफल भी हुए।



पैरवीकार की भूमिका

पैरवीकार की भूमिका अलग अलग हो सकती है। बहुत बार, पैरवीकार प्रतिनिधित्व और विश्वास उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अधिकतर पैरवीकार वैधानिक प्रस्तावों के पारित होने के पहले उनके प्रारूप तैयार करने, उन पर टिप्पणी करने और प्रस्तावों में अपना योगदान देने की सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

पैरवीकार चाहे जो भी भूमिका लें, याद रहे कि अपने मुद्दे के लिए ध्यान आकर्षित करने और मुख्य निर्णयकर्ता को कार्यवाही के लिए प्रभावित करने के लिए आँकड़े व जीवन की वास्तविक कहानियां प्रभावशाली यंत्र हो सकती हैं। यदि आप किसी गैर सरकारी संस्था के सदस्य हैं, तो अपने महत्वपूर्ण संपर्कों को नीतिनिर्धारकों को प्रभावित करने के लिए उपयोग करने में संकोच न करें।

किसी भी पैरवीकार की तीन भूमिका ये हो सकती है। इन तीन मुख्य भूमिकाओं को इस प्रकार देखा जा सकता है:

1. **शिक्षक** – आप अपने विषय में निपुण हो सकते हैं पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पैरवी या लॉबी करने वाले भी हों। आपकी निपुणता प्रजनन अधिकार आंदोलन में कई वर्षों के कार्य अनुभव या वर्तमान मुद्दों पर व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम हो सकती है। नीतिनिर्धारक चाहते हैं कि पैरवीकार तथ्यपूर्ण, उपयुक्त व प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराएं। एक अच्छे पैरवीकार में उसकी जानकारी के प्रति आत्मविश्वास होता है और वह नीतिनिर्धारक को यह विश्वास दिलाने के लिए कार्य करता है कि वर्तमान मुद्दा ध्यान देने योग्य है।
2. **प्रतिनिधि** – एक पैरवीकार के रूप में आप उन हजारों लाखों लोगों के प्रवक्ता हैं जिनके जीवन मुद्दों से प्रभावित होते हैं। आपका एक लक्ष्य उन लोगों के



मुद्दों को नीतिनिर्धारकों के सामने जीवंत करने का होना चाहिए, जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि वे आपका ध्यान रखें, तो आपको उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि वे अकेले नहीं हैं।

3. **विश्वास उत्पन्न करने वाले** – एक पैरवीकार के रूप में प्रभावशाली होने के लिए, आपका लक्ष्य ऐसे नीतिनिर्धारकों का समर्थन व सहयोग प्राप्त करने की ओर कार्य करना होना चाहिए, जो शुरू से अंत तक वैधानिक, शासकीय तथा अंतःसरकारी प्रक्रिया में आपके मुद्दे के प्रति वचनबद्ध हों। इसका अर्थ हो सकता है किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा वोट डलवाना या विधान या घोषणा का सह-प्रायोजक बनवाना, संबंधित मंत्रालय या कार्यकारी बेंच अधिकारी द्वारा अपने मुद्दों को समर्थन दिलवाना, या मुख्य अधिकारी के कर्मचारी को प्रेरित करना कि वह आपके मुद्दे पर अपने मुख्य अधिकारी से चर्चा करे।

पैरवी की योजना का निर्माण

पैरवी की योजना बनाते समय कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जैसे:

संदेश विकसित करना

अपने पैरवी प्रयासों को शुरू करने से पहले अपना संदेश अवश्य विकसित करें। संदेश विकसित करने के सामान्य सुझावों में निम्न सम्मिलित हैं:

1. यह पहचानना कि निम्न लोगों के लिए मुद्दा, कानून या नीति क्यों महत्वपूर्ण है:



- नीतिनिर्धारक या निर्णयकर्ता, जिनसे आप कार्यवाही की मांग कर रहे हैं;
 - निश्चित समर्थक और संयुक्त सहभागियों, जिनके साथ आप पैरवी प्रक्रिया में कार्य करेंगे;
 - आम जनता, जिसका विश्वास प्राप्त करने की आप आशा करते हैं; और
 - मीडिया जिसके द्वारा आप जनता का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद करते हैं।
2. कुछ आसान व याद रहने वाले मुख्य संदेश बिंदु बनाएं। अपने मुख्य बिंदुओं के विस्तार के लिए आप फैक्ट शीटों और स्थिति पत्रों का उपयोग कर सकते हैं।
 3. अपने संदेश पर कायम रहें। यह महत्वपूर्ण है कि जब मीडिया या विधानसभा के किसी सदस्य से बातचीत कर रहे हों तो अपने मुख्य संदेश को दोहराएं।
 4. विरोधी के सवाल का जवाब देने की बजाय अपने संदेश बिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए आक्रामक रुख बनाए रखें। यदि आप मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, तो आपके मुख्य बिंदु उन्हें याद रहने चाहिए न कि आपके विरोधी के।

एक पैरवीकार के रूप में अपनी क्षमता व कमजोरियों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। अपनी आलोच्य स्थिति को पहचानने ताकि आप ऐसा संदेश बना सकें जो आपके प्रबल बिंदुओं को उजागर कर सके और अपने विरोधी को आक्रामक जवाब देने के लिए तैयार रहें।

अपने मुद्दे पर बातचीत के अलावा आपको कुछ वितरण सामग्री भी विकसित करनी चाहिए।



फैक्ट शीटें

अपने मुद्दों को उदाहरणों द्वारा समझाने के लिए फैक्ट शीट एक आसान तरीका है। ये एक या दो पेजों से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट व मुख्य बिंदुओं में अपनी बात कहना महत्वपूर्ण है। नीतिनिर्धारकों से मिलते समय फैक्ट शीट बहुत कारगर सिद्ध होती है। इन्हे मुलाकातों के लिए आसानी से ले जाया जा सकता है, और नीतिनिर्धारक बाद में भी उस जानकारी को आराम से देख सकते हैं।

फैक्ट शीट बनाने के लिए कुछ सुझाव:

- निश्चित करें कि आपके श्रोतागण कौन हैं। आपके श्रोतागण में यदि नीतिनिर्धारक शामिल हैं तो अपनी बात संक्षिप्त और प्रासंगिक रखें।
- मुद्दे के संक्षिप्त विवरण से शुरुआत करें।
- अपने तीन से पाँच मुख्य बातों को बिंदुओं द्वारा प्रमुखता से दिखाएं।
- पर्याप्त विश्लेषण दें जिससे श्रोतागण आपके तर्कों को अच्छी तरह समझ सकें, पर इसे संक्षिप्त रखें ताकि उनकी रूचि बनी रही।
- जानकारी को रूचिकर बनाने के लिए ग्राफ, चार्ट और चौकोर खानों का प्रयोग करें।

जानकारी की विश्वसनीयता और स्पष्टता बढ़ाने के लिए अपनी संस्था के चिन्ह (लोगो) को फैक्ट शीट पर जरूर छापें। संस्था की चिन्ह के साथ फैक्ट शीट छापने से लोगों में उसके प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है।



स्थिति पत्र (पोज़िशन पेपर)

स्थिति पत्र मुददे पर गहन विश्लेषण प्रदान करता है। मुददे पर गहन विश्लेषण आपकी निपुणता भी प्रदर्शित करता है और इससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी जानकारी को विश्वसनीय माना जा सकता है।

सभी समूहों में स्थिति पत्र विकसित करने की क्षमता नहीं होती। इस प्रक्रिया में मुददे पर गहन विश्लेषण और शोध की आवश्यकता होती है। ये बनाना जरूरी नहीं है लेकिन यदि आप ऐसा कर सकें तो अंततः आपके समय और संसाधनों के बराबर महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। स्थिति पत्र के लिए कोई निश्चित ढाँचा नहीं है। फिर भी उनमें मुददे को फैक्ट शीट के आधार पर विस्तारपूर्वक स्पष्टता से प्रस्तुत करना चाहिए।

सामग्री का वितरण

फैक्ट शीट या स्थिति पत्र बनाने के बाद उसे विभिन्न मंचों में वितरित करें। वितरण के समय निम्न का ध्यान रखें:-

- निश्चित करें कि किसे यह जानकारी देनी है, क्योंकि जो मुददे से नहीं जुड़े हैं उन्हें यह देना इतना उपयोगी नहीं होगा।
- उचित समय का ध्यान रखें। यदि बिल पारित होने वाला है, तो अपने मुददे की फैक्ट शीट विधायकों को जानकारी के लिए दें।
- जानकारी भेजने का उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप आम जागृति नहीं पैदा कर रहे हैं, और बिल पारित होने वाला नहीं है, तो विधायकों को जानकारी देना अधिक लाभकारी नहीं होगा। उन्हीं लोगों को जानकारी भेजें जो उन मुददों पर कार्य कर रहे हों।



लिखित पत्राचार

लिखित पत्राचार पैरवी का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए किसी के भी साथ पत्रव्यवहार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

- जिसके नाम पत्र है उसकी औपचारिक उपाधि/पदवी का प्रयोग करें
- पत्र को एक पेज का रखने का प्रयास करें
- जिस मुद्दे के बारे में पत्र हो उससे संबंधित नीति या कानून का विशेष रूप से जिक्र करें
- अपने बिंदुओं को विश्वसनीय बनाने के लिए बिल्कुल सही व मान्यता प्राप्त जानकारी का प्रयोग करें
- याद रखें कि पत्रों से आपकी ओर जिस संस्था का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसकी विश्वसनीयता का पता चलता है – विनम्र और तर्कसंगत भाषाशैली का प्रयोग सबसे प्रभावशाली होता है

पत्रों द्वारा लॉबी करना:

लॉबी करना भी पैरवी का एक तरीका है। नीतिनिर्धारकों तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के पत्रव्यवहारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीतिनिर्धारक, उस कानून पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपके पत्र की सहायता ले सकते हैं। नीचे नीतिनिर्धारकों को प्रभावित करने के लिए कुछ पत्रों के नमूने दिए गए हैं:-



लॉबी करने के लिए पत्र : ये स्वयं नीतिनिर्धारकों को लिखे जाने वाले पत्र हैं। यह पत्र उस कार्यवाही पर प्रकाश डालता है, जो आप नीतिनिर्धारक से चाहते हैं।

आम पत्र : आम पत्र एक संस्था या समूहों की सहभागिता से दिया जा सकता है। यह पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, मंत्रिमंडल की कार्यकारी शाखा या संस्था को लिखा जा सकता है। कभी कभी ये आम पत्र, केवल जिसके नाम हैं उसे ही नहीं, बल्कि अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए, अखबारों व प्रिंट मीडिया में भी छपता है। आम पत्र द्वारा समूह कार्यवाही करने के लिए सार्वजनिक रूप से नीतिनिर्धारक पर दबाव डाल सकता है। आम पत्र जनता को जानकारी देने के द्वारा जिम्मेदारी को बढ़ाता है, कि आपने नीतिनिर्धारक से मुद्दे को संबंधित करने की अपील की है, इससे नीतिनिर्धारक पर कार्यवाही करने का दबाव और बढ़ जाता है। जनता को मुद्दे के प्रति जागरूक बनाने के लिए और अपनी बातों के साथ जनता तक पहुँचने के लिए भी आप अखबार में जगह खरीद कर पत्र को छाप सकते हैं।

हस्ताक्षर पत्र : अपने मुद्दे पर व्यापक समर्थन दिखाने के लिए “हस्ताक्षर पत्र” का कदम उठाया जा सकता है। जो संस्थाएं आपको लगता है आपके साथ सहमत होंगी, उनमें आप पत्र वितरित कर सकते हैं, और उनसे पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा समर्थन प्रकट करने के लिए कह सकते हैं। इससे नीतिनिर्धारकों को पता चलेगा कि मुद्दे को विभिन्न संस्थाओं से व्यापक समर्थन प्राप्त है। आप ये पत्र नीतिनिर्धारकों को भेज सकते हैं और उन्हें अपने लॉबी बैठक में बुला सकते हैं।



सहभागिताएं (कोअलिशन)





पैरवी करने के लिये कई बार विभिन्न लोग जुड़ कर कार्य करते हैं। इसमें मुख्य रूप से ऐसे लोग जुड़ते हैं जिनका कार्य एक तरह के मुद्दे पर होता है या पैरवी से दोनों के ही उद्देश्य सफल होते हैं। किसी खास उद्देश्य से जुड़कर पैरवी करने वाले समूह को सहभागिता कहा जाता है।

सहभागिता का विकास:

किसी भी प्रकार की सहभागिता तभी सफल होती है जब उसके सभी सदस्य एक दूसरे पर पूरा भरोसा और विश्वास करते हों। सहभागिता का मूल ढांचा और जिम्मेदारियाँ मुख्य कार्य की नींव रखती हैं। जब सभी लोग आपस में मिलकर कार्य करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो विश्वास और भरोसा समय के साथ आ जाता है।

किसी भी सहभागिता को शुरू करने से पहले अगर हम कुछ बातों पर ध्यान देंगे तो समूह का कार्य करना आसान हो जायेगा। समूह की पहली मीटिंग करने से पहले हमें कुछ बातें अवश्य सोचनी चाहियें जैसे:-

- हम कौन हैं और हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- हम सभी के मुद्दे क्या हैं और हम सब आपस में क्यों जुड़ रहे हैं?
- हम सब अपनी अपनी तरफ़ से क्या दे पायेंगे?
- हमारा व्यक्तिगत और संस्थागत नजरिया क्या है?
- हमारे पास संसाधन कैसे और कितने हैं?
- हम क्या क्या कर सकते हैं और हमारे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं?



अपनी सीमाओं को पहचानना भी बहुत ही आवश्यक है। ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि हमें ये पता हो कि हम अपनी संस्था की तरफ़ से क्या निर्णय ले सकते हैं? क्या हम सभी की विचारधारा एक समान है या किसी मुद्दे पर हम बहुत ही संवेदनशील हैं?

भारत में एक कानून है धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध) जिसके अनुसार : जो कोई स्वेच्छा से किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कामुक संभोग करता है, उसे आजीवन कारावास या फिर 10 वर्षों तक बढ़ाई जा सकने वाली अवधि के लिये कैद की सजा दी जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। 1860 में बनाया हुआ ये कानून आज भी हमारे देश और समाज के लिये सरकार उपयुक्त मानती है। यह कानून ऐसे सभी यौनिक व्यवहारों के लिये बनाया गया है जो प्रजनन क्रिया से जुड़े नहीं हैं और उन्हें अपराधिक करार दिया गया है। इस कानून के अनुसार किसी भी दो व्यस्क के बीच समलैंगिक यौनिक गतिविधियाँ या एक विषमलैंगिक शादीशुदा जोड़े के बीच मुख मैथुन क्रिया अपराध है। लेकिन विषमलैंगिक लोगों को इस धारा से जोड़ा नहीं जाता। आमतौर पर पुलिस इस धारा के अन्तर्गत पुरुषों को डराती धमकाती है और उनसे पैसे लेती है। इन्हीं मुद्दों को उठाने और यौनिकता के मुद्दे खासकर समलैंगिकता पर बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से वायसेस अगेन्स्ट 377 नाम का कोअलिशन शुरू किया गया। इसमें अलग अलग मुद्दों पर कार्य करने वाले समूह शामिल हैं जैसे महिलाओं के अधिकार, यौनिक अधिकार, बालअधिकार और मानव अधिकार पर कार्य करने वाले समूह। इस समूह से जुड़े सभी लोगों का ये मानना है कि किसी भी जेन्डर या यौनिक पहचान कोई भी हो इससे सभी का सरोकार है क्योंकि ये किसी भी दो व्यस्क



लोगों के यौनिक अधिकार का अपराधीकरण है। ये कोअलिशन समय समय पर इस मुद्दे से जुड़े समस्याओं को लेकर मिलता है और अपने आगे करने वाले कार्यक्रमों को भी तय करता है। ये दिल्ली में स्थित कोअलिशन है परंतु ये देश के अन्य भागों में उठने वाली समस्याओं को भी उठाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने देश के अन्य भागों की संस्थाओं को भी जोड़ने की कोशिश की है।

वायसेस अगेन्स्ट 377 कोअलिशन ने धारा 377 से संबंधित कुछ खास बातों को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट में एक रिट याचिका डाली है। ये रिट याचिका वास्तव में धारा 377 के संवैधानिक मान्यता को चुनौती देती है। इस रिट याचिका में जिन बातों को उठाया गया है वो कुछ इस प्रकार हैं:-

ये धारा हर भारतीय नागरिक को मिले समानता और गोपनीयता के मूल अधिकार का हनन करता है।

एच आई वी ऐड्स के क्षेत्र में किये जा रहे कार्य में ये एक बड़ी बाधा है।

ऐसे पुरुष जो पुरुष के साथ ही यौन संबंध बनाते हैं वो अधिकांशतः असुरक्षित मुख और गुदा मैथुन करते हैं जिससे उनके लिये एच आई वी ऐड्स का खतरा बढ़ जाता है। धारा 377 के वजह से ऐसे समूहों की जानकारी नहीं मिलती और सुरक्षित यौन सम्बंध के लिये आवश्यक प्रसार प्रचार नहीं हो पाता।

याचिका में ये भी कहा गया है कि इस कानून को थोड़ा बदलने की जरूरत है तथा दो व्यस्क के बीच के सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धों को इस धारा से बाहर निकालने की जरूरत है। इस रिट याचिका के पीछे सभी सदस्यों की बहुत ही सक्रिय भागीदारी रहती है और कब क्या बात कही जाये कोर्ट में इन सभी बातों पर सभी सदस्य मिल-जुलकर निर्णय लेते हैं।



सहभागिता का विकास और मूल ढांचा:

किसी भी सहभागिता का मूल ढांचा ही ये निर्धारित करता है कि किस तरह से किसी भी तरह के तनाव या मुद्दों की विभिन्नता को सुलझाया जायेगा। ढांचा बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखने से जरूरत पड़ने पर प्रक्रिया, ढांचा और नियमों के बारे में चर्चा की जा सकती है।

सहभागिता के मूल ढांचा के लिये आवश्यक तत्व:

- **सदस्यता:** सहभागिता से कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं?
- **सहभागिता:** सभी सदस्यों से किस तरह की अपेक्षा रखी जाती है। कौन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन क्या निर्णय लेगा, कौन सारी मीटिंग में भाग लेगा?
- **नेतृत्व:** कौन कौन से लोग नेतृत्व का भार संभालेंगे और उन्हें किस तरह सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी निभानी होगी?

निर्णय लेने की सहभागिता में क्या प्रक्रिया होगी। ये सारी चीजें नियम के तहत तय की जा सकती हैं कि किस तरह के निर्णय के लिये समूह में किस तरह से चर्चा होगी और निर्णय लिया जायेगा। सिर्फ नेताओं के बीच में ही विचार विमर्श होगा या सभी के साथ बात की जायेगी।

- **सहभागिता की पहचान और सदस्यों का स्वत्व:** कब सदस्यों को एक समूह के रूप में कार्य करना है और किन किन परिस्थितियों में वो अकेले निर्णय दें और लें। नियमों को तोड़ने का क्या परिणाम हो सकता है।
- **सदस्यों की आपस में संवाद:** सारे सदस्यों में आपस में बातचीत कैसे हो



इसका निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है। ये बातचीत फोन से होंगी, ई-मेल से होंगी या पत्र से ही। जब भी कोई इमरजेन्सी हो तो कौन सदस्य सारे लोगों को खबर करेगा और बातचीत शुरू करेगा। ये भी तय करना होगा कि हर मीटिंग की रिपोर्ट बनेगी कि नहीं और बाद में सभी सदस्यों के साथ क्या इसे बांटा जायेगा?

- **संचालन तंत्र:** इसके अन्तर्गत ये तय करना अच्छा होगा कि सहभागिता के सदस्य कितने कितने दिनों बाद मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे, हमेशा के लिये एक ही जगह निश्चित रहेगी या जगह बदलेगी। मीटिंग का संचालन कौन करेगा? कितने दिनों के लिये किसी एक पर का भार सौंपा जाये। एक ही व्यक्ति बहुत दिनों तक इसकी जिम्मेदारी लेगा या ये हर महीने बदलती रहेगी। कौन मीटिंग में चर्चा के मुद्दे निश्चित करेगा?

सहभागिता के विकास के लिये स्पष्ट संवाद

किसी भी सहभागिता को सुचारु रूप से चलाने के लिये ये आवश्यक है कि उसके सारे सदस्यों के बीच में स्पष्ट बातचीत हो और किसी भी संदेह या शक की गुन्जाइश न रहे। जितने सदस्य होते हैं उतनी तरह की विचारधारा होती है अतः ऐसे में सभी सदस्यों को अपनी विचारधारा को प्रकट करने का मौका देना बहुत आवश्यक हो जाता है। सही सहभागिता एक ऐसा मंच होना चाहिये जहाँ सभी लोग अपनी आपसी समस्या और द्वन्द्व को सुलझा सकें जो रचनात्मक रूप से योगदान करने में भी सहायक होगा। इस तरह के सहभागिता की स्थापना के लिये कुछ बातें हम ध्यान में रख सकते हैं:—

सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा एक ऐसे वातावरण की स्थापना जहाँ सभी लोग खुलकर बात कर सकें और वो वातावरण एकदम निष्पक्ष हो। प्रत्येक को ऐसा



लगे कि मेरे बोलने से मेरे प्रति किसी तरह की विशेष विचारधारा नहीं बनायी जायेगी।

सहभागिता बनाते समय ही इस तरह के नियम बनाये जायें कि सभी लोग बराबर तरीके से भागीदारी निभायें, वहाँ पर किसी भी तरह का पदक्रम स्थापित ना हो। वैसे लोग जो परंपरागत रूप से अपने आपको बहुत शक्तिशाली स्थान पर नहीं पाते उनके लिये शायद कई बार अपनी बात रखना संभव नहीं हो। हमेशा ये ध्यान देना होगा कि कौन से सदस्य ज्यादा बात करते हैं और कौन से कम। जो लोग कम बात करते हैं उन्हें बात करने के लिये प्रोत्साहित करें।

कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर कोई भी बोलना नहीं चाहता क्योंकि डर होता है कि इससे किसी को दुख होगा या इससे विचारों का द्वन्द्व शुरू होगा। ऐसी बातों को कोशिश करके उठाने व समाधान करने की जरूरत होती है।

सभी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। किसी भी समस्या को टालना नहीं चाहिये। यदि समस्या किन्हीं दो लोगों के बीच की है तो समय निकालना चाहिये उनकी समस्या समाधान के लिये। समस्या का समाधान करते समय किसी की तारीफ़ या किसी को दोषी ना ठहराया जाये। निष्पक्ष होकर समस्या को रखना और उसका समाधान करना बहुत ही आवश्यक है।

समस्या समाधान की ओर पहला कदम है समस्या को ध्यान से सुनना। समस्या को ध्यान से सुनने से अर्थ है आपका शारीरिक हावभाव, बातचीत करने का अन्दाज, सवाल पूछने का अन्दाज आदि। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप समस्या को सुनते समय बहुत परेशान लग रही हैं, बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं या बहुत इच्छुक नहीं दिख रही हैं तो समस्या बताने वाले को कठिनाई हो सकती है।



पैरवी शुरू करने के लिये जो समूह बनता है उसकी पहचान इस बात से बनती है कि उसके सदस्य किस किस क्षेत्र से आते हैं उनकी विचारधारा क्या है और उसकी पहचान क्या है? ये बातें समझनी जरूरी हैं क्योंकि हम क्या करते हैं और हमारा नजरिया क्या है इसी से हमारा काम भी प्रभावित होता है।

सहभागिताएं क्यों महत्वपूर्ण हैं

आपके मुद्दे पर कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं के साथ अच्छे संबंध रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सहभागिताओं से आप आंदोलन की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और साथ काम करने से कार्यभार हल्का हो जाता है। इसके तीन महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं:—

- **संख्या शक्ति बढ़ना** – आप जनता को या सार्वजनिक अधिकारियों को शिक्षित करे, किसी भी पैरवी प्रोजेक्ट में जितने अधिक लोग होंगे, वह उतना अधिक प्रभावशाली होगा।
- **विविधता में शक्ति** – विभिन्न प्रकार के समूहों के राजनीतिक व सार्वजनिक समर्थन के आधार अलग होते हैं। वह सहभागिता ज्यादा प्रभावशाली होती है, जो गैर सहयोगी समूहों को भी आकर्षित करती है।
- **व्यापक योग्यताएं व निपुणताएं** – अलग अलग समूह प्रोजेक्ट में विभिन्न प्रकार का ज्ञान व योग्यताएं लाते हैं। इससे आपके प्रयास को सामूहिक क्षमताएं प्राप्त होती हैं और मुद्दे को और अच्छी तरह संबोधित किया जा सकता है।



सहभागिताओं को कारगर बनाने के लिए कुछ सुझाव

जब तक आवश्यक न हो औपचारिक ढाँचे से बचें – सहभागिताओं को औपचारिक कानून व नियमों में बांधने से वे कठिन हो जाती हैं। इससे कुछ समूह भाग नहीं ले पाते हैं।

प्रत्येक समूह की सीमाओं को समझें – सभी संस्थाओं के आंतरिक नियम होते हैं जिनका आदर होना चाहिए। विशेषकर निम्न को ध्यान में रखें:-

- समूह के औपचारिक समर्थन के लिए आवश्यक प्रक्रिया
- किस प्रकार की रणनीति को समूह सुविधापूर्वक उपयोग कर सकता है
- समूहों की नए मुद्दों को समझ पाने की क्षमता
- जिम्मेदारियां सौंपना – सहभागिताएं, समूहों की हों या व्यक्तियों की, वे बेहतर काम तभी करती हैं जब सभी सदस्यों के कार्य व जिम्मेदारियां निश्चित हों। कार्य को सदस्यों की योग्यताओं व क्षमताओं के अनुसार बाँटना एक चुनौती है।
- मुख्य निर्णय एक समूह के रूप में लें – प्रोजेक्ट की अगुवाई करने वाले छोटे समूह की तरफ झुकना आसान है। सभी मुख्य निर्णयों में प्रमुख सहभागियों को शामिल करने का प्रयास करें।
- सबको सूचित रखें – नाम व पतों की एक सुपूर्ण सूची तैयार करें और समय समय पर सभी सहभागियों को जानकारी भेजते रहें। और मुख्य पैरवीकारों का एक मूल समूह होना चाहिए जिसके नियमित रूप से मिलते रहना चाहिए।



सहभागिता के शिष्टाचार:

एकता बनाने कि लिए बुनियादी नियम

समझ बनाना

- प्रत्येक सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि अन्य सदस्य कैसे किसी निर्णय पर पहुँचते हैं और सहभागिता में रहने के लिए इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है।
- उसके बाद, स्पष्ट करें, कि सहभागिता के सदस्यों के बीच क्या संबंध व विभाजन संभव हो सकते हैं।

मान्यताएं

- श्रम विभाजन व मतभेदों को स्वीकार करें।
- किसी पर आवाज ऊँची करने से पहले जानकारी प्राप्त कर लें। अधिकतर कहानी के दो पहलू होते हैं।
- मतभेद की भाषा को स्पष्ट कर लें। हम दूसरों की नीयत और मत पर चोट करे बिना भी असहमत हो सकते हैं।
- सहभागिता के बीच के मतभेदों को मीडिया में न उछालें। मतभेदों को सहभागिता के बीच ही संबोधित किया जाना चाहिए।
- आंदोलन व संस्था की ओर से क्या किया जाता है या सहभागिता के सदस्य होने के नाते से क्या किया जाता है, इन दोनों को अलग रखें। सहभागिता से



जुड़ने का अर्थ यह नहीं है कि सहभागिता में प्रत्येक सदस्य की विशेष योग्यता को छोड़ दिया जाए।

- श्रेय को सबके साथ बाँटे। जहाँ लोग और संस्थाएं मेहनत से कार्य करती हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए।

सहभागिता और प्रक्रियाएं

- सहभागिता के आरंभ में ही स्पष्ट कर दें कि निर्णय किस प्रकार लिए जाएंगें। उसी प्रक्रिया का प्रयोग करें। निर्णय करने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए, सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, सबको स्वीकार होनी चाहिए और सबके द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए।
- सहभागिता की प्रबंध समिति की बैठके किस प्रकार की जाएगी? इस तरह के प्रक्रिया संबंधी मुद्दे मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे कितने भी अच्छे संबंध क्यों न हों। स्पष्ट व स्वीकृत बुनियादी नियमों के द्वारा इन से बचा जा सकता है।
- सहभागिता नेतृत्व को कौन से विवेकाधिकार प्राप्त हैं, शुरू में ही स्पष्ट कर दें।
- पहले ही तय कर लें कि कड़ी असहमति होने पर निर्णय प्रक्रिया क्या होगी।
- किन स्थितियों में निर्णय पर दोबारा विचार किया जा सकता है।



इंटरनेट के द्वारा पैरवी





इंटरनेट के द्वारा पैरवी करना आज के टेक्नोलोजी के जमाने में बहुत प्रचलित है। ये बड़े से बड़े समूह तक विभिन्न बातें पहुँचाने के लिए एक सरल व तीव्र साधन है। परंतु एक विशेष ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि इंटरनेट की सुविधा सभी लोगो या सभी संस्थाओं के पास उपलब्ध नहीं हो सकती है। शिक्षा के साथ साथ इसमें कुछ और बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। जैसे –

- इंटरनेट से पैरवी के लिए कम्प्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए। इन सब पर पूरा कितना खर्चा आएगा?
- क्या इंटरनेट उपयोग करने के लिए आपके पास सारे साधन जैसे बिजली, उसे उपयोग करने वाले जानकार लोग और एक तकनीकी व्यक्ति उपलब्ध हैं?
- क्या आप जिस समूह के साथ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं वो इंटरनेट का उपयोग करते हैं?

सीमाएं व लाभ –

- ईमेल व वेबसाइट इंटरनेट से होने वाले दो बहुत ही विशेष सुविधाएँ हैं।
- ईमेल के द्वारा आप एक ही साथ समूह से, व्यक्तिगत रूप से व सदस्यता के जरिए किसी मुद्दे पर बिना कहीं गए बातचीत कर सकते हैं।
- वेबसाइट के द्वारा भी किसी मुद्दे पर जानकारी बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाई जा सकती है।
- इंटरनेट से किसी भी विरोध प्रदर्शन की सूचना बहुत अंतिम समय में बहुत बड़ी जनसंख्या को दी जा सकती है।



- विरोध के पत्र भेजे जा सकते हैं और लोगों से भी इसके लिये निवेदन किया जा सकता है।
- इन्टरनेट के द्वारा दस्तखत (सिग्नेचर) आंदोलन बहुत ही प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। क्योंकि इसके द्वारा सभी इच्छुक लोग तुरंत ही दस्तखत करके अपना विरोध जता सकते हैं।
- इससे पत्र व्यवहार में लगने वाले समय की बहुत बचत होती है।
- इन्टरनेट की भी अपनी सीमाएँ हैं अतः ये समुदाय व सहभागिता की जगह नहीं ले सकता। फोन, पत्र आदि से भी बहुत उपयोगी पैरवी की जा सकती है?
- जो समुदाय हिन्दी भाषा में कार्य करते हैं उनके लिये इसका उपयोग भी सीमित हो जाता है। अनेक संस्थाओं के पास हिन्दी फ़ाउन्ट्स नहीं होते जिससे सूचनायें सब जगह नहीं भेजी जा सकती।
- हिन्दी में वेबसाईट भी बहुत ही कम हैं और इस पर कार्य भी ना के बराबर है।

अतः इन्टरनेट को इसकी सीमाओं का ध्यान रखते हुए सफल व प्रभावी पैरवी के लिए भली भाँति प्रयोग किया जा सकता है ।



मीडिया द्वारा पैरवी





मीडिया के साथ काम करना क्यों महत्वपूर्ण है?

मीडिया, पैरवीकार की मित्र या शत्रु दोनों हो सकती है, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि उन्हें इस कार्य में कैसे शामिल किया जाए। सभी नीतिनिर्धारक या निर्णयकर्ता यह जानने के लिए मीडिया पर नज़र रखते हैं कि कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है, इसलिए मीडिया को अपने कार्य के लिए प्रयोग करना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मीडिया के द्वारा निम्नलिखित संभव है:

- अपने मुद्दे के बारे में जनता को जागरूक करना और बताना कि वह क्यों महत्वपूर्ण है।
- मुद्दे के बारे में सार्वजनिक राय व सोच को बदलने में सहायता।
- अपने मुद्दे के लिए समर्थन जुटाना।
- विधायकों, नीति व कानून निर्माताओं को प्रभावित करना।

अपने मुद्दे के बारे में जनता को जागरूक करना और बताना कि वह क्यों महत्वपूर्ण है। यदि जनता को आपके मुद्दे से सरोकार है और समाचार में आपके मुद्दे को दिखया जाता है, तो नीतिनिर्धारक इस पर ज्यादा ध्यान देंगे।

मुद्दे के बारे में सार्वजनिक राय व सोच को बदलने में सहायता। जनता को अपने मुद्दे पर जानकारी देने से आप उन लोगों को भी अपनी तरफ ला सकते हैं जो पहले आपके खिलाफ थे।

अपने मुद्दे के लिए समर्थन जुटाना। यदि मीडिया के इस्तेमाल के द्वारा आप अपने मुद्दे पर जनता की राय को प्रभावित कर पाते हैं, तो आपके लिए अपने मुद्दे पर समर्थन प्राप्त करना संभव है। लॉबी करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण



है क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपको खुलेतौर पर समर्थन देंगे, नीतिनिर्धारकों को उतना ज्यादा लगेगा कि उस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।

विधायकों, नीति व कानून निर्माताओं को प्रभावित करना। मीडिया का प्रयोग करते समय यही अंतिम लक्ष्य है। यदि आप सफल रहे तो आप नीतिनिर्धारकों को विश्वास दिला सकते हैं कि मुद्दा जरूरी है और आपको जनता का समर्थन प्राप्त है। अपने क्षेत्र के मुख्य अखबार में संपादक को पत्र या अपने मुद्दे पर संपादकीय लिखवाने का प्रयास करें।

मीडिया में घुसने से पहले, उसमें आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार रहें। यह जानने का प्रयास करें कि उस मीडिया पर किसका नियंत्रण है और आपके मुद्दे पर उसकी क्या स्थिति या राय है।

मुद्दे को प्रस्तुत करना

मीडिया में आप अपने मुद्दे को कैसे प्रस्तुत करते हैं? मुद्दे को जिस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा, उससे निश्चित होगा कि कौन उसे समर्थन देगा। यदि मुद्दे के साथ सही उद्देश्य जोड़ेंगे तो अपने लिए समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। अपने संदेश को सकारात्मक और रक्षात्मक रूप में प्रस्तुत करें, उसे ऐसा बनाएं जिससे लोग खुद को उस संदेश से जोड़ पाएं। आप समुदाय के प्रतिनिधि लगने चाहिए, किसी विशेष हित समूह के नहीं।

पैरवी के लिए अपने मुद्दे पर सामग्री जुटाना

सामग्री का एक किट बनाना उपयोगी होगा जिसे रिपोर्टर व संपादक तक आसानी से भेजा जा सके। राज्य या राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई सामग्री सहायक हो



सकती है। जाहिर है इन सभी के साथ जहाँ संभव हो स्थानीय तथ्य व आँकड़े भी शामिल किए जाएं।

मीडिया किट में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। इसमें निम्न शामिल होने चाहिए:—

- पृष्ठभूमि की जानकारी और स्थिति पत्र
- फैक्ट शीटें तथा प्रश्न-उत्तर पुस्तिका
- महत्वपूर्ण विधायको व प्राधिकरणों से अपने मुद्दों पर उद्धरण या समर्थन
- मुद्दे के प्रवक्ताओं की जीवनियां और संस्थागत संपर्क
- एक प्रैस विज्ञप्ति

संपादक को पत्र

अखबार या किसी पत्रिका में छपे लेख पर प्रतिक्रिया के रूप में आप संपादक को पत्र लिख सकते हैं। जब आपके द्वारा लिखा गया पत्र प्रकाशित होगा तो इससे आपका तर्क बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचेगा।

नीतिनिर्धारकों समेत बहुत सारे लोग संपादक को लिखे गए पत्र पढ़ते हैं, इसलिए ये लॉबी करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण यंत्र है। आमतौर पर ऐसे पत्र किसी कहानी को सही करने, जहाँ आपको लगा कि गलत तथ्य दिए गए हैं या किस प्रकार वह आपके मुद्दे से संबंधित है, ये बताने के लिए लिखे जाते हैं।



पत्र लिखने के लिए जरूरी बातें :

- अखबार में आलेख छपने के दो तीन दिन के अंदर ही पत्र प्रकाशित होते हैं उसके बाद नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके पत्र लिखें।
- पत्र 200 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त रखें।
- यदि पत्र आपके समूह की ओर से जा रहा है तो संस्था के लोगो (चिन्ह) वाला कागज इस्तेमाल करें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से लिख रहे हैं, तो सादा कागज इस्तेमाल करें।
- कागज के अंत में अपना नाम, उपाधि / पद और संस्था का नाम लिखें।
- ध्यान रखें कि आपके तथ्य और आँकड़े सही हों।
- टाईप किए हुए पत्रों के छपने की ज्यादा संभावना होती है।
- आक्रामक या नकारात्मक हुए बिना अपनी बात कहें।
- यदि आपका पत्र प्रकाशित न हो, तो अन्य महत्वपूर्ण आलेखों के छपने के साथ अपनी कोशिश जारी रखें।

संपादकीय-राय कॉलम (ओप-एंड पेज)

राय पर आधारित संपादकीय में उन मुद्दों के बारे में लिखा जाता है जो विशेषतौर पर मीडिया के पाठकों की रुचि के होते हैं। अखबारों में, अतिथि लेखक (कभी कभी विशेषज्ञ) किसी मुद्दे या मामले पर अपने राय के साथ कॉलम लिखते हैं। दूरदर्शन व रेडियो अक्सर समाचार के कार्यक्रम में अतिथि राय के लिए समय रखते हैं।



राय पर आधारित संपादकीय पाठकों को समस्या से अवगत कराने और आपकी संस्था का संदेश जनता व कानून बनाने वालों तक पहुँचाने में मदद कर सकता है।

राय पर आधारित संपादकीय लिखने के लिए :

- प्रकाशन के संपादक से पता करें कि क्या राय पर आधारित संपादकीय के लिए कोई विशेष आवश्यकता है। प्रत्येक अखबार की नीति अलग होती है।
- अपने विषय का मानवीकरण करें। आरंभ इस बात से करें कि मुद्दे किस प्रकार व्यक्तियों या लोगों के समूह को प्रभावित करता है।
- एक दृष्टिकोण लें और उसे तथ्यों व उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करें।
- राय पर आधारित संपादकीय को छुट्टी, वर्षगाँठ, चुनाव, रिपोर्ट, या सरकार की किसी विचाराधीन कार्यवाही के साथ जोड़ें।
- संक्षिप्त रूप में लिखें – राय पर आधारित संपादकीय की औसत लम्बाई 750 शब्द होती है। यदि वह बहुत बड़ा है, तो प्रकाशित नहीं होगा।
- स्पष्ट रूप से लिखें और केवल एक मुद्दे पर केंद्रित रहे – कई पाठक हो सकता है इस विषय से वाकिफ न हों। अपने मुख्य बिंदुओं को शामिल करें।
- कोशिश करें कि आपका बिंदु एक वाक्य में आ जाए, उदाहरण के लिए, “प्रजनन अधिकार मानव अधिकार है”।
- सकारात्मक रहें – समाधान बताएं, केवल समस्या नहीं।



- एक उचित शीर्षक, बाईलाइन, लेखक और उनकी विशेषता के बारे में एक लाईन लिखें।

राय पर आधारित संपादकीय प्रकाशित कराने के लिए :

- अखबार में फोन करने से पहले संपादकीय लिख लें। यदि संपादक या लेखक की रुचि हुई तो वो तुरंत भेजने के लिए कह सकते हैं। इसलिए पहले से तैयार रहना ज्यादा अच्छा है।
- हर अखबार में संपादक या राय पर आधारित संपादकीय पेज के संपादकों का नाम पता करें।
- जैसे ही आपकी फोन पर किसी से बात हो, उसे जल्दी से बताएं कि आप कौन हैं, कौन सी संस्था से हैं, आपका मुद्दा क्या है, और प्रस्तावित राय पर आधारित संपादकीय क्यों सामयिक या समाचार के लायक है। फिर बताएं कि आपके पास स्वयं एक विशेषज्ञ मौजूद है, संस्था की मुखिया या कोई जानीमानी हस्ती – जो मुद्दे पर आपके तर्क को पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अस्वीकृति या फिर संपादकीय के लिए विचारणीय दानों स्थितियों के लिए तैयार रहें।
- जब कोई अखबार इस पर विचार करने के लिए सहमत हो जाए तो जब तक उसे पूरी तरह स्वीकृत या अस्वीकृत न किया जाए, उसे किसी और अखबार के पास न भेजें।
- यदि आपका लेख स्वीकार नहीं किया जाता, उस पर पुनर्विचार करें, सुधारें और अन्य अखबारों में कोशिश करते रहें, जब तक कि कोई छापने को तैयार न हो जाए।



मीडिया से संबंधित पैरवी के अन्य तरीके

प्रेस विज्ञप्ति – प्रेस विज्ञप्ति एक पेज का दस्तावेज होता है जो मुद्दे या घटना को प्रेस के लिए स्पष्ट करता है। अक्सर इसे एक समाचार कहानी की तरह लिखा जाता है ताकि रिपोर्टर को पढ़ने में आसानी हो और कहानी को समझने के लिए जिस जानकारी की जरूरत है, वो भी मिल जाए। अधिकतर अखबार वाले सीधे प्रेस विज्ञप्ति से ही कहानी छाप देते हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस – एक विशेष सभा होती है जो आपकी संस्था विशेष वक्ताओं के साथ, किसी विशेष व महत्वपूर्ण घोषणा या मुद्दे के बारे में बताने के लिए आयोजित करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसा तरीका है जिससे पत्रकार आपके मुद्दे के बारे में जानकर उस पर आलेख लिख सकते हैं। बड़ी घटनाओं या घोषणाओं के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह के समय ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे पत्रकार वापस जाकर शाम को ही अपनी कहानी दूसरे दिन छपने के लिए दे सकते हैं।

पत्रकारों से सम्पर्क साधना – उन पत्रकारों से सम्पर्क करना महत्वपूर्ण हो सकता है जिनकी विशेष योग्यता आपके मुद्दे और संपादकीय पर हो। आप उन्हें, उनके लेखों, संपादकीय और कहानियों में अपने मुद्दे को शामिल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

पत्रिकाओं व न्यूजलैटर में लेख – जनता व नीतिनिर्धारकों तक जानकारी पहुँचाने का दूसरा तरीका है खुद लेख प्रकाशित करना। ऐसा करने के लिए, सबसे पहले पत्रिकाओं या जो संस्थाएं आपके विचारों से मिलते जुलते न्यूजलैटर प्रकाशित करती हैं, उनसे सम्पर्क करें। ऐसे प्रकाशकों को चुने जो विशेषकर



अतिथि लेखकों के लेख प्रकाशित करते हैं। यदि आप अपने मुद्दे को उनके पाठकों के साथ जोड़ पाते हैं तो प्रकाशन अवसर बेहतर होंगे।

टी वी / रेडियो साक्षात्कार – स्थानीय या राष्ट्रीय टी वी या रेडियो से सम्पर्क करें और उनसे आपको अपने मुद्दे के पर बात करने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए कहें। हो सकता है शो की मेजबानी करने वाला आपसे प्रश्न पूछे या आपको इस विषय पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ वाद-विवाद करना पड़े। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपना संदेश दे सकते हैं और अपने मुद्दे की ओर जनता का ध्यान खींच सकते हैं। अपनी फ़ैक्ट शीटें और प्रैस विज्ञप्तियां टी वी और रेडियो निर्माताओं को लगातार भेजते रहें।

मीडिया तक जानकारी पहुँचाना

अधिकांश लोगों को जानकारी मीडिया द्वारा ही मिलती है। आपके मुद्दे के समाचारपत्र या टीवी या रेडियो पर आने से लोगों का समर्थन मिल सकता है। यह कार्य इतना कठिन नहीं है। रिपोर्टर व संपादक हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहते हैं जिसमें मानव हित जुड़ा हो।

यहाँ कुछ आसान तरीके दिए गए हैं जिनसे आप मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं – चाहे समाचारपत्र या टीवी/रेडियो पर :

- समाचारपत्र या टीवी या रेडियो जहाँ भी आप अपना मुद्दा उठाना चाहते हैं उसे ध्यान से देखें। पता करें कि किस प्रकार के मुद्दों में उनकी रूचि है। इससे आप उन तक पहुँच सकते हैं।



- जो रिपोर्टर व संपादक ऐसे विषयों पर कार्य करते हैं उनका नाम पता लगाइए। संभव हो तो उन्हें जानने का प्रयास करें।
- एक अच्छी प्रेस विज्ञप्ति लिखें।
- प्रेस कॉन्फ्रेंस करें।
- मैगजीन व न्यूजलैटरों में लेख छपवाएं।
- टी वी / रेडियो पर इंटरव्यू दें।
- प्रेस विज्ञप्ति पर फोन द्वारा रिपोर्टर व संपादक से संपर्क रखें।
- अपने बोर्ड तथा कार्यालय के अन्य सदस्यों द्वारा संपादक को पत्र लिखवाएं।
- संपादक को खुला पत्र लिखें।
- न्यूजलैटर व बुलेटिनों का उपयोग करना न भूलें।
- यदि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग करें, जानकारी को बड़े पैमाने पर वितरित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण व प्रभावशाली माध्यम है।

मीडिया पैरवी की विषयवस्तु का ढाँचा

- व्यक्तिगत समस्या को सामाजिक मुद्दे में परिवर्तित करना
- प्राथमिक जिम्मेदारी निश्चित करना
- समाधान प्रस्तुत करना



- अपील बनाना
- श्रोताओं के अनुकूल बनाना

मीडिया पैरवी की योजना बनाने के लिए निम्न बातें महत्वपूर्ण हैं:-

- मीडिया पर ध्यान देना
- मीडिया सूची विकसित करना
- मीडिया से संबंध बनाना
- नीति के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का ध्यानपूर्वक पुनर्विचार करना
- पैरवी लक्ष्यों को जारी रखने के लिए स्पष्ट मीडिया उद्देश्य निश्चित करना
- अपने लक्षित श्रोताओं को निश्चित करना
- अपना संदेश विकसित करना
- अपने संदेश को पहुँचाने के लिए माध्यम तय करना
- योजना पर कार्य करना
- दोबारा विचार व मूल्यांकन करना



आवाज को बुलंद (पिच) करने के क्या तत्व हैं?

- मुददे को स्थानीय, व्यक्तिगत बना लेना अर्थात "जनसाधारण का बना लेना"
- समाचार शामिल करना
- मानव अधिकार दृष्टिकोण का होना
- उसका सामयिक, मौसमी, प्रासंगिक होना
- स्थानीय दृष्टिकोण जोड़ना
- विश्वसनीय, मधुरभाषी प्रवक्ता का उपलब्ध होना
- समाचार मीडिया के प्रसार के लिए दृश्य उपलब्ध कराना



मीडिया पैरवी के लिए एक अभ्यास

मीडिया द्वारा पैरवी की योजना बनाना

आपका मुद्दा क्या है? आपके उद्देश्य क्या हैं?

आप मीडिया का प्रयोग क्यों करना चाहते हैं?

आप किस तक पहुँचना चाहते हैं? किस प्रकार की मीडिया वहाँ पहुँच सकती है?



आप किस प्रकार मीडिया का ध्यान आकर्षित करेंगे?

आपका सबसे प्रभावशाली प्रवक्ता कौन होगा और क्यों?





ढाँचा बनाना: कहानी को जब लिखा (या दिखाया) जाएगा, हो सकता है कि आपके संदेश को तोड़-मरोड़ दिया जाए। आप ऐसा होने पर कैसे रोक लगा सकते हैं?



आपके अगले तीन कदम क्या होंगे?

भविष्य में आप अलग तरीके से कैसे काम करेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप की कहानियों को अधिक महत्व मिले?





CREA

7 मथुरा रोड, दूसरी मंजिल, जंगपुरा बी, नई दिल्ली – 110 014

फोन: 011-24377707 फैक्स: 011-24377708

ईमेल: crea@vsnl.net वेबसाइट: www.creaworld.org